




प्रह्लाद सबनानी

आज एक बार पुनः भारत  
के भीतर जहां-जहां  
इस्लाम को मानने वाले  
लोगों की संख्या बहुलता  
को प्राप्त हो गई है, वहां  
वहां पर अनेक प्रकार की  
सामाजिक विसंगतियां,  
दमन और शोषण के नए-  
नए स्वरूप देखे जा रहे हैं।  
केरल, कर्नाटक, पूर्वोत्तर  
भारत, बंगाल जहां जहां  
उनकी संख्या बहुलता में  
है, वहां-वहां दूसरे धर्म  
और जाति के लोग परेशान  
हैं। उपस्थित तथ्यों से सत्य  
को समझना चाहिए। इन  
आंकड़ों के आलोक में हमें  
समझना चाहिए कि हमारी  
बहू, बेटियां, महिलाओं की  
इज्जत कब तक सुरक्षित  
रह सकती है?

संपादकीय

## ਬਢ੍ਹੀ ਗਮੀ, ਘਟਤਾ ਪਾਨੀ



सनत जैन

**स** न 2024 में नई संसद का गठन होने जा रहा है। इस बार संसद में भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। सही मायनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो तीसरी सरकार बनी है वही वास्तविक एनडीए की सरकार है। एनडीए की वर्तमान सरकार में पिछले 10 वर्षों में संसद द्वारा जो कानून पास किए गए हैं उन पर पुनर्विचार किए जाने की संभावनाएं बल्किंग हो गई हैं। पिछले 10 सालों में संसद में विपक्ष बहुत कमजोर था। निश्चित संख्या में विपक्षी राजनीतिक पार्टी का बहुमत नहीं होने से विपक्षी दल के नेता का पद भी विपक्ष के पास नहीं था। बहुमत के आधार पर संसद में बिना चर्चा के बिल पास कराने के दर्जनों उदाहरण हैं। संसद में बिल पेस करने के पहले निर्धारित प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया गया। आनन-फानन में बहुमत के आधार पर लोकसभा से बिल पारित कर दिए गए, जिसके कारण संविधान में प्रदत्त नागरिकों की समानता और


**भा** रत लगातार जारी ग्रीष्म लहरों के चपेट में है। मई-जून 2024 में उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में तापमान पिछले 124 वर्षों में सर्वाधिक उच्च स्तर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया। ग्रीष्म लहर भारत के लिये कोई नई परिघटना नहीं है, लेकिन इस वर्ष उल्लेखनीय यह है कि उसका समयपूर्व आगमन हुआ है और देश के उत्तर-पश्चिमी सेदक्षिण-पूर्वी हिस्सों तक उसका व्यापक स्थानिक प्रसार रहा है। यह उपयुक्त समय है कि देश को ग्रीष्म लहरों और संबद्ध चरम मौसमी घटनाओं से निपटने के लिये ठोस योजनाओं का निर्माण करना

चितन-मनन

मेरे द्वारा चार वर्णों की रचना गुण और कर्मों के हिसाब से की जाती है, फिर भी तू मुझे कभी न खत्म होना वाला और कर्मों के बंधन से मुक्ति ही जान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण हैं, अब ऐसा मान लेते हैं कि जो जिस घर में जन्म लेता है, वह उसी वर्ण का कहलाता है। जबकि वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पर शुरू हुई थी। पहले जब बच्चे को पढ़ाई के लिए गुरुकुल भेजा जाता था, तब तक वह किसी वर्ण का नहीं कहलाता था। वहां गुरु अपने शिष्यों की रुचि को जानकर उसके हिसाब से उन्हें पढ़ाते थे। वेदों को पढ़ने में रुचि लेने वालों को ब्राह्मण, युद्ध कला में महारथी को क्षत्रिय, व्यापार में रुचि वाले को वैश्य और सेवा भाव वाले को शूद्र की उपाधि दी जाती थी। इसके बाद वे समाज में उसी के हिसाब से काम करते थे। यही भगवान कह रहे हैं कि मैंने गुणों और कर्मों के आधार पर चार वर्णों की रचना की है, जिससे सभी मनुष्य कर्मों में लगे रहें। ये सब करते हुए भी तुम मुझे कभी न खत्म होने वाला और कुछ न करने वाला जानो। सब कुछ करते हुए भी भगवान कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता।

**भा** रत लगातार जारी ग्रीष्म लहरों के चपेट में है। मई-जून 2024 में उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में तापमान पिछले 124 वर्षों में सर्वाधिक उच्च स्तर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया। ग्रीष्म लहर भारत के लिये कोई नई परिघटना नहीं है, लेकिन इस वर्ष उल्लेखनीय यह है कि उसका समयपूर्व आगमन हुआ है और देश के उत्तर-पश्चिमी सेंद्रियण-पूर्वी हिस्सों तक उसका व्यापक स्थानिक प्रसार रहा है। यह उपयुक्त समय है कि देश को ग्रीष्म लहरों और संबंध चरम पौसमी घटनाओं से निपटने के लिये ठोस योजनाओं का निर्माण करना चाहिये। ग्रीष्म लहरों के जानलेवा प्रभावों को कम करने के लिये पूर्व-चेतावनी प्रणाली, हाई-फ्लू प्रूफ शेल्टर और व्यापक रूप से वृक्षारोपण महत्वपूर्ण है। ग्रीष्म लहर असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि है जो भारत के उत्तर-पश्चिमी और दक्षिण-मध्य भागों में ग्रीष्मकाल के दौरान उत्पन्न होती है। यह वायु के तापमान की वह स्थिति है जिसके संर्फ़ के में आना मानव शरीर के लिये घातक हो जाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग उस स्थिति को ग्रीष्म लहर के रूप में वर्गीकृत करता है जब मैदानी इलाकों में तापमान कम से कम 40.सी (और पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 30.सी) तक पहुँच जाए और यह सामान्य तापमान से कम से कम 5-6.सी की वृद्धि को झींगत करता हो। भीषण गर्मी का आसन्न कारण वर्षा-युक्त पश्चिमी विक्षेप या उष्णकटिबंधीय तूफान की अनुपस्थिति है जो उत्तर भारत में भूमध्यसागर से वर्षा लाते हैं। भारत में पहले से ही गर्मी शहरों में ग्लोबल वार्मिंग और जनसंख्या वृद्धि का संयोजन बढ़ते हुए 'हाई एक्सपोजर' का प्राथमिक चालक है। 'अबन हीट आइलैंड' शहरों के भीतर भी तापमान की वृद्धि करता है, जिसकी तरा ग्रीष्म लहरों के दौरान और बढ़ जाती है। यह स्थिति तब बनती है जब जब शहर प्राकृतिक

**रव में फैलना आज विश्व शांति के लिए आवश्यक है**



रही तो यह भारत के साथ पूरे विश्व के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है व्यांकिक अल्पसंख्यक के नाम पर मुस्लिम आबादी (जो कि अपने धर्म के प्रति एक कदम कौम मानी जाती है तथा अन्य धर्मों के लोगों के प्रति बिलकुल सहशुण नहीं है और वक्त आने पर अन्य समाज के नागरिकों का कल्पोआम करने में भी हिचकिचाते नहीं है) में बेतहाशा वृद्धि होना, पूरे विश्व के लिए एक अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता है।

यह बात ध्यान रखने वालों है कि इरान कभी आया का अर्थात् पारसियों का देश था। इराक, सऊदी अरब, पश्चिम एशिया के समस्त मुस्लिम देश 1400 वर्ष पूर्व भारतीय संस्कृति और सभ्यता को मानने वाले देश थे। तलवार के बल पर 57 देश इस्लाम को स्वीकार कर चुके हैं इनमें से कोई भी ऐसा देश नहीं है जो 1400 वर्ष पहले से अर्थात् सनातन की भाँति सृष्टि के प्रारंभ से मुस्लिम देश था। 1398 ईसवी में ईरान भारत से अलग हुआ, 1739 में नादिशाह ने अफगानिस्तान को अपने लिए एक अलग रियासत के रूप में प्राप्त कर लिया, बाद में 1876 में यह एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आ गया, 1937 में म्यांमार बर्मा अलग हुआ, 1911 में श्रीलंका अलग हुआ और 1904 में नेपाल अलग हुआ। सांप्रदायिक आधार पर देश विभाजन का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका इसके पश्चात् 1947 में पश्चिमी एवं पूर्वी पाकिस्तान देश बना। पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश के रूप में मानचित्र पर उपलब्ध है।

आज एक बार पुनः भारत के भीतर जहां-जहां इस्लाम को मानने वाले लोगों की संख्या बहुलता को प्राप्त हो गई है, वहां वहां पर अनेक प्रकार की सामाजिक विसंगतियां, दमन और शोषण के नए-नए स्वरूप देखे जा रहे हैं। करल, कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत, बंगाल जहां जहां उनकी संख्या बहुलता में है, वहां -वहां दूसरे धर्म और जाति के लोग परेशान हैं। उपस्थित तथ्यों से सत्य को समझना चाहिए। इन आंकड़ों के आलोक में हमें समझना चाहिए कि हमारी बहू, बेटिया, महिलाओं की इज्जत कब तक सुरक्षित रह सकती है? निश्चित रूप से तब तक कि भारतवर्ष सनातनी हिंदुओं के हाथ में है। हमें इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए कि अब हम सांप्रदायिक आधार पर देश का पुनः विभाजन नहीं होने दें। नोवाखाली जैसे नरसंहारों की पुनरावृत्ति अब हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। भारत-पाकिस्तान के विभाजन के समय जिस प्रकार लाखों करोड़ों लोगों को घर से बेघर होना पड़ा था, उस इतिहास को अब दोहराया नहीं जाना चाहिए। भारत में आंतरिक स्थिति ठीक नजर नहीं आती है परन्तु विश्व के कई अन्य देशों में सनातन संस्कृति को तेजी से अपनाया जा रहा है, तभी तो कहा जा रहा है कि विश्व में आज कई समस्याओं का हल केवल हिंदू सनातन संस्कृति को अपना कर ही निकाला जा सकता है।

# पुराने कानूनों पर पुनर्विचार करेगी नई संसद

स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का ध्यान भी नहीं रखा गया। कानून बनाते समय सरकार के पास असीमित अधिकार हाँ इसको ध्यान में रखते हुए कानून बनाए गए। अब नई संसद गठित होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के पास सदन में स्पष्ट बहुमत नहीं है। सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार चलाना पड़ेगी। वहीं इस बार संसद में विषय पहले की तुलना में बहुत मजबूत है और एकजुट है। ऐसी स्थिति में संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो भी कानून पिछले 10 वर्षों में पारित किए गए हैं उन पर हर हालत में पुनर्विचार करना इस सरकार की मजबूरी होगी। सभी नागरिकों के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता संविधान के मौलिक अधिकारों के तहत हो। इसके लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर भारी विवाद है।

भारतीय दंड संहिता (अपराधिक कानून विधेयक) के कई प्रावधान इस तरह से किए गए हैं जिसका देश में भारी विरोध हो रहा है। मैरिटल रेप राज ध्वनि के नए प्रावधान पुलिस को असीमित अधिकार न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती, मोटर व्हीकल एक्ट इत्यादि के कई ऐसे प्रावधान हैं जिनके परिणाम पर चिंता किए बिना इसे लागू किया जाना है। भारतीय दंड संहिता के जो तीन नए कानून हैं वह 1 जुलाई 2024 से लागू होने हैं, जिसके कारण स्पष्ट है कि यह मामला संसद के पहले सत्र में ही पुनर्विचार की मांग को लेकर विपक्ष अपना दबाव बनाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 में हासिले के बीच

पारित किया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए थे, उनका पालन नहीं किया गया। जिसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में स्पष्ट रूप से देखने को मिला है। ऐसी स्थिति में इस कानून में भी संशोधन को लेकर विपक्ष दबाव बनाएगा। केंद्र सरकार और राज्यों के बीच खदान एवं खनिज अधिनियम को लेकर भी पिछले कई वर्षों से विवाद चल रहा है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक पीठ कर रही है। इस नवीन कानून के द्वारा केंद्र ने अपनी शक्तियों को काफी बढ़ा लिया है और राज्यों की शक्तियों को कम कर दिया है। ऐसी स्थिति में इस पर भी भारी दबाव सरकार पर पड़ना तय माना जा रहा है। इसी तरह ट्रासेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 के प्रावधान भी भेदभाव पूर्ण होने के कारण इस पर भी विपक्ष द्वारा पुनर्विचार करने की और संशोधन करने की मांग इसी संसद सत्र में की जा सकती है। अपने तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को कई मामलों में अग्रिम परीक्षा से युजरना पड़ेगा वहीं पिछले 10 सालों में ईडी, सीबीआई और आयकर एवं अन्य जांच एजेंसी के माध्यम से विपक्ष को समाप्त करने की कोशिश की गई है, उसको लेकर भी विपक्ष एकजुट हुआ है। एकजुट विपक्ष से लड़ना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। पिछले 10 सालों में सरकार ने विपक्ष के लिए जो गड़े खोदे थे विशेष रूप से भ्रष्टाचार के मामलों में विपक्ष को जेल के सीखेंहों तक पहुंचाया गया था। विपक्ष को चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश की गई थी। आर्थिक एवं आपाराधिक मामलों में दोषी बनाकर विपक्ष को खत्म करने की

करने के लिए जो हथकंडे अपनाए गए थे, विपक्ष अब उन्हीं हथकंडों को सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एकजुट हुआ है। निश्चित रूप से नई संसद में पुराने कानून पर विचार होगा। उसमें सरकार को संशोधन भी करने होंगे। कई याचिकाएं इन सारे मामलों की सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं। निश्चित रूप से जब संसद में दबाव बढ़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट में लिखित याचिकाओं पर सुनवाई होगी और फैसला आएगा। इन सारी स्थितियों का देखते हुए नई संसद का पहला सत्र काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है।

इसमें सरकार को बजट भी पेश करना है। जुलाई के पहले बजट को पास करना है। सरकार ने मनी बिल के रूप में बहुत सारे बिल पास कराकर सांसदों और संसद के अधिकार भी सरकार के नियंत्रण में आ जाने से सांसदों और संसद के अधिकार पहले की तुलना में बहुत कम हो गए हैं। अब विपक्ष के मजबूत हो जाने के कारण निश्चित रूप से आशा की जा सकती है कि बहुमत के आधार पर जो बिल और कानून पास कराए जा रहे थे उनके स्थान पर अब विवेक पूर्वक पक्ष और विपक्ष विभिन्न मसलों पर चर्चा करने के बाद ही आम सहमति से कानूनों के संशोधन पर पुर्वविचार करेगी। विपक्ष जिस तरह से एकजुट है, जिस आक्रामक ढंग से वह अपनी बात सदन के बाहर रख पा रहा है, उससे ज्यादा प्रभावी और आक्रामक ढंग से संसद के अंदर वह अपनी बात रखेगा। इस तरह की आशा की जा रही है।

## ग्रीष्म लहरों से मौत को रोकने के लिये कार्ययोजना

भूमि आवरण को फुटपाथ, इमारतों और अन्य ठोस सतहों के घने सांद्रता से प्रतिस्थापित कर देते हैं जो गर्मी को अवशोषित करते हैं और देर तक बनाए रखते हैं। मई-जून के माह में भारत में ग्रीष्म लहरों को उपरिस्थिति एक सामान्य घटना है, लेकिन देश के कई हिस्सों में धीरे-धीरे बढ़ते अधिकतम तापमान के कारण वर्ष 2024 में ग्रीष्म लहरों की समय-पूर्व उत्पत्ति की स्थिति बनी। भारत मौसम विज्ञान विभागके अनुसार भारत में ग्रीष्म लहर दिवसों की संख्या वर्ष 1981-1990 के 413 से बढ़कर वर्ष 2011-2020 में 600 हो गई है। ग्रीष्म लहर दिवसों की संख्या में वह तेज वृद्धि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव के कारण घटित हुई है। ग्रीष्म लहरों के कारण जान गँवाने वाले लोगों की संख्या भी वर्ष 1981-1990 में 5,457 से बढ़कर वर्ष 2011-2020 में 11,555 हो गई है। वर्ष 1967 से अब तक पूरे भारत में ग्रीष्म लहरों के कारण 39,815 लोगों की मौत हो चुकी है। भू-जलवायु और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के कारण सबसे अधिक मौतें उत्तर प्रदेश (6,745) में हुई हैं; इसके बाद आंध्र प्रदेश (5,088), बिहार (3,364), महाराष्ट्र (2,974), पंजाब (2,720), मध्य प्रदेश (2,607), पश्चिम बंगाल (2,570), ओडिशा (2,406), गुजरात (2,049), राजस्थान (1,951), तमिलनाडु (1,443), हरियाणा (1,116), तेलंगाना (1,067), दिल्ली (996), झारखण्ड (855), कर्नाटक (560), असम (348) आदि राज्यों का स्थान है, जबकि शेष 12 राज्यों में 954 लोग मौत के शिकार हुए महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस साल भीषण गर्मी ने राज्य में 25 लोगों की जान ले ली है। ये ग्रीष्म लहरें बहुत अधिक हानिकारक हैं। इसके मुख्य प्रभाव निम्नलिखित हैं -1.मानव मृत्यु दर: बढ़ते तापमान, जन जागरूकता कार्यक्रमों की कमी और अपर्याप्त दैर्घ्यकालिक शमन उपायों के कारण ग्रीष्म

लहरों से मृत्यु की स्थिति बनती है। टाटा सेंटर फॉर डेवलपमेंट और शिकागो विश्वविद्यालय की वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2100 तक जलवायु परिवर्तन से प्रेरित अत्यधिक ताप के कारण सालाना 5 मिलियन से अधिक लोगों के मरने की संभावना होगी। बढ़ी हुई गर्मी से मधुमेह और परिसंचरण एवं श्वसन संबंधी रोगों के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि होगी। 2. अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: ग्रीष्म लहरों की लगातार घटनाएँ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। उदाहरण के लिये, कार्य दिवसों के नुकसान के कारण गरीब और सीमांत किसानों की आजीविका नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। ग्रीष्म लहरों का इन श्रमिकों की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। वर्ष 2019 की ILO रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 1995 में 'हीट स्ट्रेस' के कारण लगभग 3% कार्य घटे गंवाए थे और वर्ष 2030 में इससे 5.8% कार्य घटे गंवा देने की संभावना है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2030 में हीट स्ट्रेस के कारण कृषि और निर्माण क्षेत्र दोनों में से प्रत्येक में 4% कार्य घटें का नुकसान हो सकता है। 3. फसल की क्षति और खाद्य असुरक्षा: अत्यधिक गर्मी और सूखे की घटनाओं से फसल उत्पादन का नुकसान हो रहा है और वृक्ष सूख रहे हैं। चरम गर्मी से प्रेरित श्रम उत्पादकता हानि से खाद्य उत्पादन को अचानक लगाने वाले झटके से स्वास्थ्य एवं खाद्य उत्पादन के लिये जोखिम और अधिक गंभीर हो जाएंगे ये परस्पर प्रभाव खाद्य कीमतों में वृद्धि करेंगे, घेरेलू आय को कम कर देंगे और विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कुपोषण और जलवायु संबंधी मौतों को बढ़ावा देंगे। 4. श्रमिकों पर प्रभाव: वर्ष 2030 में कृषि और निर्माण जैसे क्षेत्रों से संलग्न श्रमिक गंभीर रूप से प्रभावित होंगे क्योंकि भारत की एक बड़ी

आबादी अपनी आजीविका के लिये इन क्षेत्रों पर निर्भर है। भारत के लिये इस पर विचार करना भी उचित होगा कि अनिश्चित श्रम बाजार स्थिति वाले देशों और क्षेत्रों को इस तरह की चरम गर्मी के साथ उच्च उत्पादकता हानियों का सामना करना पड़ सकता है। समग्र रूप से भारत में हीट स्ट्रेस के कारण वर्ष 2030 में लगभग 34 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियों का नुकसान हो सकता है। 5. कमज़ोर वर्गों पर विशेष प्रभाव: जलवायु विज्ञान समुदाय ने वृहत् साक्षरों के साथ दावा किया है कि ग्रीनहाउस गैसों और एरोसोल के उत्सर्जन में वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय कटौती नहीं की जाएगी तो ग्रीष्म लहर जैसी चरम घटनाओं के भविष्य में और अधिक तीव्र, आवर्ती और दीर्घावधिक होने की ही संभावना है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि भारत में ग्रीष्म लहर की घटनाओं में हजारों कमज़ोर और गरीब लोगों को प्रभावित करने की क्षमता है, जबकि जलवायु संकट में उन्होंने सबसे कम योगदान किया है। ग्रीष्म लहर प्रभाव शमन रणनीति के मामले में भारत की स्थितिएसी आपदाओं से निपटने के लिये वर्ष 2015 से पहले कोई राष्ट्रस्तरीय "हीटवेप एक्शन प्लान" मौजूद नहीं था। क्षेत्रीय स्तर पर अहमदाबाद नगर निगम ने वर्ष 2010 में विनाशकारी ग्रीष्म लहरों से हुई मौतों के बाद वर्ष 2013 में पेहला हीट एक्शन प्लान तैयार किया था। वर्ष 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ग्रीष्म लहरों के प्रभाव को कम करने हेतु राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख रणनीति तैयार करने के लिये व्यापक दिशानिर्देश जारी किये थे। हालाँकि चरम मौसम संबंधी आघातों के शमन और उनके प्रति अनुकूलन के लिये कुछ निवारक उपाय किये गए हैं, लेकिन इस तरह की पहलें ग्रीष्म लहरों से लोगों की मौतों को रोकने के लिये अपर्याप्त ही साबित हुई हैं। व्योमिक निवारक उपायों, शमन और तैयारी कार्यों को लागू करना जटिल बना हुआ है।

- संजय गोस्वामी



भ्रष्टाचार प्रतियोगिता में

&

भ्रष्टाचार की जानकारी देने


National Rights Group  
Youtube Channel

[krantisamay@gmail.com](mailto:krantisamay@gmail.com)

9879141480

fight against corruption india

भारत में भ्रष्टाचार  
के खिलाफ लड़ाई



### मोटे अनाजों में प्रमुख

# बाजरा

#### भूमि का चुनाव

बाजरे की अस्थिरित फसल उन भिन्नियों में अल्पी उपज देती है, जिनकी जलधारण क्षमता अधेक्षकृत अधिक होती है। रेतीली मटियार दोमर और मटियार दामट भूमि में बाजरा की भरपूर पैदावार होती है।

#### भूमि की तैयारी

बाजरा वर्षा आधारित फसल है। ऐसी फसल के लिए गर्मियों की जुलाई अच्छी पाई गई है। इससे खरपतवारों पर नियंत्रण करने में मद्द मिलती है। वर्षा के शुरू होने पर हल या बखर चलाकर खेत को भुर्मुरा बनायें तथा खरपतवार रहित करें।

#### उत्तर किस्में

अ. संकर किस्में - आईसीएमएच-356, जवाहर बाजरा हायब्रिड-1, जवाहर बाजरा हायब्रिड-2, हरित बटल रोग निरोधक  
ब. परागित किस्में - जवाहर बाजरा किस्म-2, जवाहर बाजरा किस्म-3, जवाहर बाजरा किस्म-4, राज-171

#### बुआई

बाजरा की बुआई के लिए जुलाई का पहला पहवाड़ा ही उत्तम है। इस समय पर लगाए गए बाजरा पर रोगों का प्रकाश कम होता है तथा फूल आते समय सामान्य वर्षा होने पर प्रायः भूमि



में नमी का अभाव नहीं होता है।

#### बीज की मात्रा और पौधों का घनत्व

बाजरा की संकर किस्मों की कतारों के बीच 45 सेमी की दूरी रखना जरूरी है, जिसमें पौधों से पौधों में की गहराई पर बोना चाहिए। बीज 1 से 2.5 सेमी की गहराई पर तक उत्तर किस्मों पर संस्थान के लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज की मात्रा पर्याप्त रहती है। बुआई के पूर्व बीजपालक जरूरी है जो उपचार प्रायः 35 एसडी की 6 ग्राम मात्रा का प्रति किलोग्राम बीज की दूरी तक उपचार प्रायः 35 एसडी की 6 ग्राम मात्रा का प्रति किलोग्राम बीज की दूरी तक उपचार करें, जिससे डाउनी मिल्ड्यू रोग के प्रारंभिक प्रकांप से बचा जा सके।

#### उर्वरक की मात्रा एवं देने का तरीका

बुआई के दूरी 8 किलोग्राम यूरिया, 300 किलोग्राम और 33 किलोग्राम पांचास प्रति हेक्टेयर देना चाहिए।

#### पौधों की छटाई

बाजरा के पौधों के पूर्ण विकास के लिए उपयुक्त रथान मिलना आशयक है। अतः घने पौधों की छटाई करके पौधों की आपसी दूरी उपयुक्त कर देनी चाहिए।

#### जल प्रबंध

बाजरा का केवल 3.3 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है। अतः जल का समुचित प्रबंध करना सफल खेती और उत्पादन स्थिरता की दृष्टि से अत्यंत आशयक है। वर्षा का केवल 5-15 प्रतिशत जल पौधों की बढ़वार के लिए उपलब्ध हो पाता है। इस प्रकार बाजरा उगाने वाले क्षेत्रों में जल का वैज्ञानिक प्रबंधन ही समतल बना देने पर भूमि पर गिरने वाली वर्षा का समान वितरण होता है। तथा पानी भूमि में लाल्हे समय तक भरे रहने के कारण इसका उत्तम संरक्षण करना कीशायक पक्का संहायक पक्की गयी है। वर्षा जल खेत में लाल्हे समय तक खड़े रहने के कारण बहाव के माध्यम से बह जाने वाले जल की अधिक मात्रा भूमि द्वारा ग्रहण कर ली जाती है तथा यह मात्रा भूमि द्वारा होने के कारण सुखित रहती है। यह विश्वास किया जाता है कि भूमि की ऊर्ध्वी सतह को संहत करने पर बाजरा के पौधे की जड़े 3 अधिक गहराई तक जाती है जिसके कारण उपलब्ध भूमि जल का अच्छी उपयोग होता है तथा जड़ों का जल ग्रहण क्षेत्र भी बढ़ जाता है। इस किया जाता है। याकी जड़ों के नीचे की ओर बढ़ने का प्रशिक्षण दिया जाता है, यानि कि ऐसी स्थिति बनायी जाती है कि इसकी बढ़वार नीचे की ओर अधिक हो।

#### जल निकास

बाजरा की फसल के पौधों की दूरी जल खेत में लाल्हे समय तक खड़े रहने से अधिक मात्रा भूमि द्वारा ग्रहण कर ली जाती है तथा यह मात्रा भूमि द्वारा होने के कारण सुखित रहती है। यह विश्वास किया जाता है कि भूमि की ऊर्ध्वी सतह को संहत करने पर बाजरा के पौधे की जड़े 3 अधिक गहराई तक जाती है जिसके कारण उपलब्ध भूमि जल का अच्छी उपयोग होता है। याकी जड़ों का जल ग्रहण क्षेत्र भी बढ़ जाता है। इस किया जाता है। याकी जड़ों के नीचे की ओर बढ़ने का प्रशिक्षण दिया जाता है, यानि कि ऐसी स्थिति बनायी जाती है कि इसकी बढ़वार नीचे की ओर अधिक हो।

# अमरबेल का नियंत्रण

#### प्रसारण

- परजीवी के बीज एवं तने के भाग स्पैन्चाई कसरे से जल द्वारा एक खेत से दूसरे खेत में चले जाते हैं।
- खट द्वारा भी बीज खेत में आ जाते हैं।
- तने के टुकड़ों का स्थानान्तरण मनुषों एवं जंतुओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर दिया जाता है।
- इसके बीज बर्याम, रिजिका के बीजों के साथ जुड़े रह सकते हैं।

#### हानि



अमरबेल के संक्रमण से मात्रात्मक दोनों प्रकार से हानि होती है-

- नींबू में 30-35 प्रतिशत
- मूंग में 70-90 प्रतिशत
- उड़द में 30-40 प्रतिशत
- रिजिका, बर्याम में 60-70 प्रतिशत तक उपज में हानि होती है।

#### नियंत्रण

इस परजीवी पादप के नियंत्रण हेतु समन्वित प्रबंध करना अति आवश्यक है-

#### नियंत्रण के उपाय

- नमक के 10 प्रतिशत (1 लीटर पानी में 100 ग्राम) घोल में बीजोपचार करके फसल के

- बीजों की बुवाई करें।
- अमरबेल के बीज रहित फसल के बीज ही बुवाई के काम लें।
- कुषिं चंद्रों व पशुओं को अमरबेल से संक्रमित खेतों से व्यवच्छ खेतों में न आने दें।
- अमरबेल से ग्रसित फार्म से कम्पोस्ट खाद तैयार न करें।

#### स्थायी नियंत्रण

- संक्रमित पौधों को परजीवी में बीज बनाने से फलहत उड़वाइ कर जला दें।
- कम से कम पांच वर्ष का फसल चक्र अपनाना चाहिए।
- पाश फसलें जैसे ग्वार आदि उगाना चाहिए इसकी बढ़वार कम होती।
- फसलों की सहनशील किस्में जैसे रिजिक की एलएलसी 6 व एलएलसी 7, मूंग की एम-4 व उड़द की टी-9 किस्में बोनी चाहिए।

#### जैविक नियंत्रण

- मैलेनियोमाइजा करुव्यूटा व कालेटोट्राइकम ग्लोडीयोसोरोडीस के द्वारा भी इसका नियंत्रण कर सकते हैं।
- ल्यूब्राओ-2 जो कि कोलेटोट्राइकम ग्लोडीयोसोरोडीस करुव्यूटा रोगजनक का उत्पाद है, से भी जैविक नियंत्रण कर सकते हैं।

#### स्थायी नियंत्रण

- ल्यूब्राओ-7 किग्रा (सक्रिय तत्व) या डाइक्लोमेनिल 2 किग्रा (सक्रिय तत्व) प्रति हेक्टेयर मिली में प्रयुक्त करें।
- खड़ी फसलें जैसे ग्वार आदि उगाना चाहिए आवश्यकतानुसार पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।
- पेंड़ों तथा खट्टुवीय बेलों पर पेरेक्वाट के 0.1 प्रतिशत घोल का छिड़काव करें। तथा उपचारित पर्याप्ती पौधों की जल्दी सिंचाई करें।
- यदि अमरबेल पर छिड़काव के बाद कोई अवशेष बच जाये तो पुनः बताये शकानशीयों का छिड़काव करें।

- नमक के 10 प्रतिशत (1 लीटर पानी में 100 ग्राम) घोल में बीजोपचार करके फसल के

#### रासायनिक नियंत्रण

- वलोरोफॉम 6-7 किग्रा (सक्रिय तत्व) या डाइक्लोमेनिल 2 किग्रा (सक्रिय तत्व) प्रति हेक्टेयर मिली में प्रयुक्त करें।
- खड़ी फसलें जैसे ग्वार आदि उगाना चाहिए आवश्यकतानुसार पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।
- पेंड़ों तथा खट्टुवीय बेलों पर एक वर्षा उपचारित पर्याप्ती पौधों की जल्दी सिंचाई करें।
- यदि अमरबेल पर छिड़काव के बाद कोई अवशेष बच जाये तो पुनः बताये शकानशीयों का छिड़काव करें।

#### रासायनिक नियंत्रण

- तथा उपचारित पर्याप्ती पौधों की जल्दी सिंचाई करें।
- उपचारित पर्याप्ती पौधों की जल्दी सिंचाई करें।
- उपचारित पर्याप्ती पौधों की जल्दी सिंचाई करें।
- उपचारित पर्याप्ती पौधों की जल्दी सिंचाई करें।

#### रासायनिक नियंत्रण

- तथा उपचारित पर्याप्ती पौधों की जल्दी सिंचाई करें।
- उपचारित पर्याप्ती पौधों की जल्दी सिंचाई करें।
- उपचारित पर्याप्ती पौधों की जल्दी सिंचाई करें।
- उपचारित पर्याप्ती पौधों की जल्दी सिंचाई करें।

#### रासायनिक नियंत्रण





